प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2017

विषयः फिल्म "टायलेट–एक प्रेम कथा" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1609 / प्र0क0–3 / 2017–18 दिनांक 09.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। फिल्म "टायलेट–एक प्रेम कथा" को राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में आपकी आख्या के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त फिल्म "टायलेट–एक प्रेम कथा" को मल्टीप्लेक्सों / सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या–612 / 11–6– 2017–एम(43) / 17 दिनांक 09.08.2017 के कम में उसमें उल्लिखित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिये सम्बंधित सिनेमा / मल्टीप्लेक्स को प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लासों के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(2) प्रदेश में, फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट–वीक की समय सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जा सकेगी कि फिल्म की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणाक 200 प्रिंट / स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिंट द्वारा फिल्म का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिये होगी। यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी किंतु उक्त सीमा 200 प्रिन्ट वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

...2

FROM : FAX NO. :0522 2239076 10 Aug. 2017 17:14 P 001

(3) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान, एस.जी.एस.टी की धनराशि को घटा कर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।

(4) ऐसी फिल्मों में आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को, मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी, जैसे इस नीति के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

कृपया तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
विशेष सचिव

संख्या– 613 (1)/11 –6–2017–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 लखनऊ)
2– वॉयकाम–18, मीडिया प्रा0लि0 जियान विजन वर्ल्ड, सुभाष रोड–विले पारले (ई) मुम्बई।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
विशेष सचिव

D:Entertainment Tax-Diwakar

FROM : FAX NO. :0522 2239076 10 Aug. 2017 17:14 P 002